



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2012-आश्विन 6, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE

(ORIGINAL JURISDICTION)

Company Petition No. 15/2012.

In the matter of section 433 & 434 of the Companies Act, 1956.

AND

In the matter of M/s. Lakhani Footcare Pvt. Ltd.,

Registered Office : 38-A, Udyog Vihar,

Dev Guradia Road, Indore (M.P.) - 452 001.

And

Lime Chemicals Ltd.

.....Petitioner

Versus

M/s. Lakhani Footcare Pvt. Ltd.

.....Respondent

NOTICE OF PETITION

Notice is hereby given that a petition for the winding up of the above named company by the High Court of the State of Madhya Pradesh at Indore was on 18th June, 2012 presented to the said Court by the said petitioner and that the said petition is directed to be heard before the Court on 17th day of October, 2012 at 10.30 A.M.

Any creditor or contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose I person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Indore

Dated : 21st September, 2012.

Dheeraj Singh Panwar,

Advocate for Petitioner

56/2, Nanda Nagar, Indore- 452 011 (M.P.).

(150-B.)

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I was known as TIJINDER SINGH as per my previous Passport. I have changed my name and henceforth I shall be known as SARDAR TEJINDER SINGH S/o Shri Gurdayal Singh.

Old Name :

(TIJINDER SINGH)

(144-B.)

New Name :

(SARDAR TEJINDER SINGH)

452, Napier Town, Howbagh Station Road,

Jabalpur (M. P.).

उप-नाम परिवर्तन

मेरे पक्षकार अमित सिंह भाटिया पिता श्री सरजीत सिंह, निवासी 244, इन्द्रपुरी, इन्दौर-452017 (मध्यप्रदेश) ने उनका नाम परिवर्तित कर अमित सिंह लबाना पिता श्री सरजीत सिंह रख लिया है.

अतः सर्वसाधारण एवं सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि एतस्मिन् पश्चात् मेरे पक्षकार अमित सिंह भाटिया पिता श्री सरजीत सिंह को अमित सिंह लबाना पिता श्री सरजीत सिंह के नाम से जाना-पहचाना एवम् पुकारा जाए.

दिलीप क्षीरसागर,

अधिवक्ता,

44, वल्लभनगर, इन्दौर-452003.

(145-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब तक भीकमचंद गोयल पुत्र स्व. श्री हुकुमचंद गोयल के नाम से जाना जाता था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है और इसके पश्चात् अब समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय कार्यों में मेरा नाम गौरव गोयल अंग्रेजी में (Gaurav Goyal) जाना जाए.

पुराना नाम :

(भीकमचंद गोयल)

(147-बी.)

नया नाम :

(गौरव गोयल)

स्व. श्री हुकुमचंद गोयल, मकान नं. 10,
गणेश बाजार, श्योपुर (मध्यप्रदेश).

CHANGE OF NAME

I, Vinod Kumar, PAN No. AFVPJ0413Q, also known as Vinod Kumar Jangra S/o Sh. RamKumar Jangra, presently residing at H. No. H-104, SRG Aadharshila, Barkheda Pathani, Bhopal. I, shall henceforth be known as Vinod Kumar Jangra for All Future Purposes vide Affidavit No.31AA243425 Dated 09th August, 2012 sworn in the Court of Judicial Magistrate, First Class, Bhopal.

Old Name :

New Name :

(Vinod Kumar)

(Vinod Kumar Jangra)

(148-B.)

H-104, SRG Aadharshila,

Barkheda Pathani Bhopal-462021.

CHANGE OF NAME

May it be known to whosoever concerned that I Parmanand G. Makhija have changed my Son's Name from "Soumya" to "Swayam". Hence forth he shall be known as **Swayam Parmanand Makhija**.

Parmanand Makhija,

61, Moon Palace Colony,

(149-B.)

Indore (Madhya Pradesh)-452 009.

साझेदारी समाप्ति की सूचना

सर्व-साधारण एवम् फर्म मै. मूलचन्द जैन ठेकेदार रेमण्ड शोरूम के सामने, बारादरी चौराहा, गांधी रोड, मुरार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश से सम्बन्धित समस्त व्यवसायियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है. सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि उक्त फर्म को दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से विघटित कर दिया गया है.

वास्ते : मै. मूलचन्द जैन ठेकेदार

(मूलचन्द जैन)

(146-बी.)

मालिक.

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा**

खण्डवा, दिनांक 23 अगस्त, 2012

प्र. क्र.06/बी-113 (1)/2011-2012.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा- 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि सुनील महाजन पिता श्री विश्राम महाजन, एल-48, किशोर नगर, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	महात्मा फुले माली समाज ट्रस्ट, खण्डवा तहसील एवं जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति :	रुपये 10,000/- नगद.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.

(452)

खण्डवा, दिनांक 23 अगस्त, 2012

प्र. क्र.07/बी-113 (1)/2011-2012.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा- 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम- 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि श्री राजेन्द्र परिहार, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	श्री कृष्ण गौशाला न्यास, संत सिंगाजी समाधि मार्ग, ग्राम गेहलगांव, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति :	रुपये 10,000/- बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खण्डवा में जमा.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.

(452-A)

हरिसिंह चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, इटारसी

इटारसी, दिनांक 24 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं 1962 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि सेन्ट्रल इण्डिया आउटरिच ट्रस्ट मालवीयगंज, इटारसी की ओर से श्री डॉ. मेथ्यू. के. थामस (आर्थर ऑफ द ट्रस्ट) एवं श्रीमती ए. एम. थामस पत्नि डॉ. मैथ्यू. के. थामस (चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफ द आर्थर ऑफ द ट्रस्ट) निवासी मालवीयगंज इटारसी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन के अन्दर) इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

ट्रस्ट का नाम	..	सेन्ट्रल इण्डिया आउटरिच ट्रस्ट मालवीयगंज, इटारसी
कार्यालय का पता	..	थामस निवास मालवीयगंज इटारसी.
अचल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं.
औसत सकल वार्षिक आय	..	30,00,000.00 (तीस लाख).
औसत वार्षिक व्यय	..	21,00,000.00 (इक्कीस लाख).
चल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं.

आज दिनांक 24 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(443)

इटारसी, दिनांक 03 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 एवं 1962 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि रूरल एण्ड ट्राइबल डेवलपमेन्ट आर्गनाइजेशन, इटारसी की ओर से डॉ. डी. व्ही. जयकुमार, श्रीमती जयशीला कुमारी ज्योत्सना क्लाडिया लोइस एवं डी. जे. जोएल पॉल द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन के अन्दर) इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

ट्रस्ट का नाम	..	रूरल एण्ड ट्राइबल डेवलपमेन्ट आर्गनाइजेशन, इटारसी.
कार्यालय का पता	..	टाईप- III/ 3155 आयुध निर्माणी स्टेट, इटारसी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं.
औसत सकल वार्षिक आय	..	2,31,756.00 (दो लाख इक्तीस हजार सात सौ छप्पन)
औसत वार्षिक व्यय	..	2,20,125.00 (दो लाख बीस हजार एक सौ पच्चीस)
चल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं.

आज दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(443-A)

इटारसी, दिनांक 03 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं 1962 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि गुड समारिटन मिनिस्ट्रीस 16 नंबर पुलिया फातिमा चर्च के पास आयुध निर्माणी रोड, इटारसी की ओर से डॉ. डी. व्ही. जयकुमार, श्रीमती जयशीला कुमारी ज्योत्सना क्लाडिया लोइस एवं डी. जे. जोएल पॉल द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन के अन्दर) इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

ट्रस्ट का नाम	..	गुड समारिटन मिनिस्ट्रीस
कार्यालय का पता	..	16 नंबर पुलिया फातिमा चर्च के पास आयुध निर्माणी रोड इटारसी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं
औसत सकल वार्षिक आय	..	49,539.00 (उन्नचास हजार पाँच सौ उनचालीस)
औसत वार्षिक व्यय	..	48,500.00 (अड़तालीस हजार पाँच सौ)
चल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं

आज दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

धनराजू एस.,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(443-B)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2012

प्रारूप-तृतीय

प्र.क्र. /बी-113/2011-2012.

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक, रविन्द्र पिता किसन राउत वगैरा, निवासी गणेश कॉलोनी लालबाग, बुरहानपुर ने "श्री सिद्धी विनायक गणेश मंदिर ट्रस्ट, गणेश कॉलोनी, लालबाग, बुरहानपुर" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 07 अगस्त, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम व पता : श्री सिद्धी विनायक गणेश मंदिर ट्रस्ट, गणेश कॉलोनी, लालबाग, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति : निरंक
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आर. एस. अगस्थी,
पंजीयक.

(444)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2012

प्र. क्र. 3637 (A) /बी-113/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री मधुसूदन पिता स्व. श्री रामचरणलाल श्रीवास्तव, निवासी- 91, एम.आई.जी. इन्दिरा नगर, उज्जैन आदि ने ज्योतिर्मयी ट्रस्ट का पब्लिक ट्रस्ट (लोक न्यास) उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	ज्योतिर्मयी ट्रस्ट, उज्जैन
कार्यालय	..	91, एम.आई.जी. इन्दिरा नगर, आगर रोड, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक
चल सम्पत्ति	..	निरंक

(445)

आर. एस. मीना,
पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

अन्य सूचनाएं**कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र मेहगांव, जिला भिण्ड**

भिण्ड, दिनांक 16 अगस्त, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 162 क नियम 57 सी के अन्तर्गत)

क्र. /परि./12/599.—संशोधित आदेश क्रमांक उपा./भिण्ड/परि./2012/314, भिण्ड, 22 मई, 2012 के आदेशानुसार निम्नलिखित दुग्ध सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक
1.	दुग्ध समिति, मछरिया	635/25-03-1989

1	2	3
2.	दुग्ध समिति, छिरेटा	325/18-03-1982
3.	दुग्ध समिति, आलामपुर	639/25-03-1989
4.	दुग्ध समिति, चौम्हौं	431/10-09-1986
5.	दुग्ध समिति, केमोरखरी	375/29-04-1986
6.	दुग्ध समिति, निबरोल	315/03-03-1982
7.	दुग्ध समिति, भीकमपुरा	623/31-01-1989
8.	दुग्ध समिति, निशार	577/29-04-1988
9.	दुग्ध समिति, खड़ीत	451/25-06-1987
10.	दुग्ध समिति, चिरूली	586/29-09-1988
11.	दुग्ध समिति, तेजपुरा (लहार)	609/31-01-1989
12.	दुग्ध समिति, साहपुरा न.2	526/30-03-1988
13.	दुग्ध समिति, मुरावली	354/16-04-1985
14.	दुग्ध समिति, परायच	618/31-01-1989
15.	दुग्ध समिति, रिनिया	640/25-03-1989
16.	दुग्ध समिति, बरई	429/10-09-1986
17.	दुग्ध समिति, पिपाड़ी हेट	440/22-12-1986
18.	दुग्ध समिति, कनीपुरा	442/22-12-1986
19.	दुग्ध समिति, लोधे की पाली	441/22-12-1986
20.	दुग्ध समिति, करियावली	572/29-09-1988
21.	दुग्ध समिति, मसेरन	617/31-03-1989
22.	दुग्ध समिति, परेक्षा	618/31-03-1989
23.	दुग्ध समिति, टीकरी	668/29-11-1989
24.	दुग्ध समिति, मदनपुरा	389/29-04-1986
25.	दुग्ध समिति, विछौली	419/06-08-1986
26.	दुग्ध समिति, सीताराम की लावन	523/30-03-1988
27.	दुग्ध समिति, बीसलपुरा	571/29-09-1988
28.	दुग्ध समिति, नानपुरा	579/29-09-1988
29.	दुग्ध समिति, लिधौरा	633/25-03-1989
30.	दुग्ध समिति, बेंदीपुरा	661/22-11-1989
31.	दुग्ध समिति, ऐंहतहार	383/29-04-1986
32.	दुग्ध समिति, इमलाहा	608/31-01-1989
33.	दुग्ध समिति, जन्नाथपुरा	477/29-07-1987
34.	दुग्ध समिति, सोसरा	584/29-09-1988
35.	दुग्ध समिति, मेहदवा	781/29-07-1987
36.	दुग्ध समिति, सलैया	347/16-05-1985
37.	दुग्ध समिति, हरपुरा	624/31-01-1989

1	2	3
38.	दुग्ध समिति, चन्दनसिंह का पुरा	420/15-05-1986
39.	दुग्ध समिति, जिलेदार का पुरा	562/29-08-1988
40.	दुग्ध समिति, परोसा	367/30-03-1986
41.	दुग्ध समिति, ददरौआ	422/30-03-1999
42.	दुग्ध समिति, विरगाँवाँ	521/30-03-1999
43.	दुग्ध समिति, करवास	320/03-03-1982
44.	दुग्ध समिति, पिपरसाना	802/24-11-2000
45.	दुग्ध समिति, अंधियारी नं. 2	499/02-12-1987
46.	दुग्ध समिति, गुरीखा	323/18-03-1982
47.	दुग्ध समिति, विडरा	638/25-03-1989
48.	दुग्ध समिति, जमुहाँ	357/16-04-1989
49.	दुग्ध समिति, डोंगविरखड़ी	338/04-04-1984

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, मेहगाँव, जिला भिण्ड कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध सभी दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये हैं, तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं समक्ष अधिकारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

अतः सूचना आज दिनांक 04 अगस्त, 2012 को मेरे एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(446)

आर. के. शर्मा,
ग्रा. वि. सं. एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी) (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है, कि उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक	तहसील/ विकासखण्ड
1	2	3	4	5
1.	बजरंग बली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, लडवारी	663/18-02-2002	239/30-01-2012	बल्देवगढ़

1	2	3	4	5
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पटौरी	694/27-06-2002	240/30-01-2012	बल्देवगढ़
3.	गोकुल महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, धनेरा	786/06-06-2005	150/19-02-2010	बल्देवगढ़
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मडोरी	78/31-05-2005	226/30-01-2012	बल्देवगढ़
5.	माँ विन्धवासिनी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, दुर्गानगर	644/22-02-2002	227/30-01-2012	बल्देवगढ़
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, दौह	833/27-12-2006	228/30-01-2012	बल्देवगढ़
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कुडीला	841/15-10-2007	229/30-01-2012	बल्देवगढ़

अतः मैं, एच. के. झाम, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा तो इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियों स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, इस संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकार्ड (आडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जायेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेख पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

यह सूचना आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(447)

एच. के. झाम,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 25 अगस्त, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2000/1441/विदिशा, दिनांक 01 नवम्बर, 2000 से कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पबई, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./556, दिनांक 02 फरवरी, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड गंज बासौदा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पबई, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पबई, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./556, दिनांक 02 फरवरी, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448)

विदिशा, दिनांक 25 अगस्त, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1991/1517/विदिशा, दिनांक 25 जून, 1991 से हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मेहरामसूदपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./263, दिनांक 28 मार्च, 1985 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड गंज बासौदा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मेहरामसूदपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मेहरामसूदपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./263, दिनांक 28 मार्च, 1985 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(448-A)

विदिशा, दिनांक 25 अगस्त, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2000/1439/विदिशा, दिनांक 01 नवम्बर, 2000 से प्रगति खनिज आदिवासी सहकारी संस्था मर्यादित, नहारिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./494, दिनांक 21 जून, 1993 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड गंज बासौदा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा प्रगति खनिज आदिवासी सहकारी संस्था मर्यादित, नहारिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रगति खनिज आदिवासी सहकारी संस्था मर्यादित, नहारिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./494, दिनांक 21 जून, 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(448-B)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला धार

धार, दिनांक 05 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/580.—आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक- 411, दिनांक 28 नवम्बर, 1979 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./02/1590 धार दिनांक 22 अगस्त, 2002 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी. कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परि./12/06, धार, दिनांक 03 जनवरी, 2012 अनुसार श्री बबलू चौहान, सह. निरी. धार को परिसमापक नियुक्त किया गया था. .

समिति के नियुक्त परिसमापक द्वारा समिति को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर समिति को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि समिति कार्यशील होकर एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकती है एवं समिति को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., धामनोद, तह. धरमपुरी जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ एवं समिति के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार एक अस्थायी कामकाज कमेटी 03 माह के लिए नियुक्त करता हूँ:—

क्र.	नाम	पद
1.	श्री भगवानदास जी बंसल	अध्यक्ष
2.	श्री कैलाशचंद्र सिंघल	उपाध्यक्ष
3.	श्री हरिश मुंदडा	प्र. का. स.
4.	श्री प्रेमकुमार मंगल	प्र. का. स.
5.	श्री सुरेश अग्रवाल	प्र. का. स.
6.	श्री राजेन्द्र गोयल	प्र. का. स.
7.	श्री गंगा बिशन शर्मा	प्र. का. स.
8.	श्री रामेश्वर मण्डलोई	प्र. का. स.
9.	श्री सुरेशचंद्र गर्ग	प्र. का. स.

यह आदेश आज दिनांक 05 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिड़वाल,

पोस्ट—बिड़वाल, तह. बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 06 अक्टूबर, 1982).

क्र./परि./2012/1431.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-A)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा,

पोस्ट—मनासा, तह. बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 23 अप्रैल, 1983).

क्र./परि./2012/1432.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449-B)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरनी,

पोस्ट—पिपरनी, तह. सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 549, दिनांक 17 जून, 1983).

क्र./परि./2012/1433.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449-C)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरमण्डल,

पोस्ट—बरमण्डल, तह. सरदारपुर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 551, दिनांक 17 जून, 1983).

क्र./परि./2012/1434.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449-D)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरगांव,

पोस्ट—मोरगांव, तह. सरदारपुर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 19 अक्टूबर, 1983).

क्र./परि./2012/1435.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है।

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-E)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलसाड़ा,

पोस्ट—कलसाड़ा, तह.धार, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 667, दिनांक 20 सितम्बर, 1985).

क्र./परि./2012/1436.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012

को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449-F)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छावन,

पोस्ट—छावन, तह. बदनावर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 673, दिनांक 29 नवम्बर, 1985).

क्र./परि./2012/1437.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449-G)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आहू,

पोस्ट—आहू, तह. धार, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 683, दिनांक 21 नवम्बर, 1986)

क्र./परि./2012/1438.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था

वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449-H)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचलाना,

पोस्ट—पचलाना, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 25 जुलाई, 1987).

क्र./परि./2012/1439.—चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो

दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449-I)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरडावद,

पोस्ट—गरडावद, तह. धार, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 25 जुलाई, 1987).

क्र./परि./2012/1440.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयविधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को सायं 3.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(449-J)

धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छायान,

पोस्ट—छायन, तह. बदनावर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 19 मार्च, 1982).

क्र./परि./2012/1228.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर

व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(450-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारी,

पोस्ट—सेमल्दा, तह. धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1137, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002).

चूँकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो

दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(450-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिड़ोताखुर्द,

पोस्ट—अनारद, तह. धार, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1102, दिनांक 29 मई, 2002).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(450-J)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढापला,

पोस्ट—धानी, तह. धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 28 सितम्बर, 2001).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के

अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(450-K)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिघाना,

पोस्ट—सिघाना, तह. मनावर, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 17 अगस्त, 2005).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है।
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है।
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(450-L)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराजखेड़ी,

पोस्ट—दिग्ताल, तह. धार, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1172, दिनांक 19 मार्च, 2004).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयवधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-M)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेघापुरा,

पोस्ट—तलवाड़ा, तह. धार, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 23 नवम्बर, 2005).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.

3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयवधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-N)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोंगलिया,

पोस्ट—रोंगलिया, तह. धार, जिला धार

(पंजीयन क्रमांक 1210, दिनांक 14 जून, 2006).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशांसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशांसा-पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयवधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-O)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाजमखेड़ी,

पोस्ट—जाजमखेड़ी, तह. मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1164, दिनांक 11 नवम्बर, 2003).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-P)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सकतली,

पोस्ट—अनारद, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 28 जनवरी, 1990).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-Q)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देदला,

पोस्ट—बोरूद, तह. मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1075, दिनांक 24 सितम्बर, 2001).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-R)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोल,

पोस्ट—लिम्बोल, तह. कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1101, दिनांक 29 मई, 2002).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयवाधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-S)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

प्रज्ञा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवला,

पोस्ट—बार्गालयड, तह. मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1076, दिनांक 26 सितम्बर, 2001).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-T)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डण्डेली,

पोस्ट—डण्डेली, तह. सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 743, दिनांक 23 जनवरी, 1990).

क्र./परि./2012/1431.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-U)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक,

द्वारा : संचालक मण्डल

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरगढ़ी,

पोस्ट—खलघाट, तह. धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1188, दिनांक 17 अगस्त, 2005).

चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा- पत्र तथा दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर व उज्जैन के अनुशंसा पत्र से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं ऑडिट नोट के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 13 अगस्त, 2012 को सायं 5.00 बजे तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-V)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1445.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1232, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढापला, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1080, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढापला, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-K)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1446.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1230, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारी, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1137, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारी, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-L)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1447.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1193, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगांव, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1212, दिनांक 01 अगस्त, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगांव, तहसील मनावर जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-M)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1448.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1196, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालीबावडी तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1215, दिनांक 01 अगस्त, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालीबावडी तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-N)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1449.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1195, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1213, दिनांक 01 अगस्त, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-O)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1450.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1194, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1214, दिनांक 01 अगस्त, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-P)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1451.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1198, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकली, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1186, दिनांक 17 अगस्त, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकली, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-Q)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1452.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1188, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उखल्दा, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1216, दिनांक 01 अगस्त, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उखल्दा, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-R)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1453.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1192, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अहेरवास, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1129, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अहेरवास, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-S)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1454.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1241, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार प्रज्ञा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवला, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1076, दिनांक 26 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रज्ञा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवला, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-T)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1455.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1239, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देदला, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1075, दिनांक 24 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देदला, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-U)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1456.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1237, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाजमखेडी, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1164, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाजमखेडी, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-V)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1457.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1190, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या, तहसील कुशी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1173, दिनांक 31 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या, तहसील कुशी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-W)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1458.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1240, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोल, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1101, दिनांक 29 मई, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोल, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-X)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1459.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1233, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंघाना, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1190, दिनांक 17 अगस्त, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंघाना, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-Y)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1460.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1197, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देशवाल्या, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1192, दिनांक 26 अगस्त, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देशवाल्या, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(449-Z)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1461.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1191, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोणी, तहसील कुशी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 622, दिनांक 01 जनवरी, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोणी, तहसील कुशी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1462.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1189, धार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलावदा, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1175, दिनांक 31 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलावदा, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. आर. बघेल सह. वि. अधिकारी, तिरला को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-A)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1463.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1235, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेघापुरा, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1194, दिनांक 23 नवम्बर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेघापुरा, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एस. चौहान, सह. वि. अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-B)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1464.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1238, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सकतली, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 749, दिनांक 23 जनवरी, 1990 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सकतली, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एस. चौहान, सह. वि. अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-C)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1465.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1231, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिडोताखुर्द, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1102, दिनांक 29 मई, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिडोताखुर्द, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एस. चौहान, सह. वि. अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-D)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1466.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1236, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोगलिया, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1210, दिनांक 14 जून, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोगलिया, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एस. चौहान, सह. वि. अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-E)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1467.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1228, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छाजन, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 462, दिनांक 19 मार्च, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छाजन, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. खन्ना, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बदनावर को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-F)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1468.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1242, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उण्डेली, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 743, दिनांक 23 जनवरी, 1990 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उण्डेली, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सरदारपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(450-G)

धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/1469.—कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1234, धार, दिनांक 25 जुलाई, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराजखेडी, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./ 1172, दिनांक 19 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराजखेडी, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. निगम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नालछा को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(451)

भंवर मकवाना,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता, जिला धार

धार, दिनांक 25 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र. व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मोरगढ़ी	1188/17-08-2005	1444/23-08-2012
2..	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., ढापला	1080/28-09-2001	1445/23-08-2012
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., लोहारी	1137/23-12-2002	1446/23-08-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कालीबावड़ी	1215/01-08-2006	1448/23-08-2012
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रणगाँव	1212/01-08-2006	1447/23-08-2012
6.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मुण्डला	1213/01-08-2006	1449/23-08-2012
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., करौंदिया	1214/01-08-2006	1450/23-08-2012
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., चिकली	1186/17-08-2005	1451/23-08-2012
9.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., उखल्दा	1216/01-08-2006	1452/23-08-2012
10.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., अहेरवास	1129/19-12-2002	1453/23-08-2012
11.	प्रज्ञा महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., देवला	1076/26-09-2001	1454/23-08-2012
12.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., देदला	1075/24-09-2001	1455/23-08-2012
13.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., जाजमखेड़ी	1164/11-11-2003	1456/23-08-2012
14.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सिंघाना	1190/17-08-2005	1459/23-08-2012
15.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., लिम्बोल	1101/29-05-2002	1458/23-08-2012
16.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पिपल्या	1173/31-03-2004	1457/23-08-2012
17.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., देशवाल्या	1192/26-08-2005	1460/23-08-2012
18.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., लोणी	622/01-01-1985	1461/23-08-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उप नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तदनुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अगस्त, 2012 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(453)

व्ही. एस. चौहान,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर-2012-आश्विन 6, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 जून, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के कुछ जिलों में कहीं-कहीं वर्षा हुई है जो निम्नानुसार है:—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील टीकमगढ़ (टीकमगढ़), बण्डा, सागर, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली (सागर), शाहनगर (पन्ना), बांधवगढ़ (उमरिया), सुबासरा-टप्पा, शामगढ़, संजीत (मंदसौर), खाचरोद, तराना, उज्जैन (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर (अलीराजपुर), बदनावर, मनावर (धार), बड़वाह, सेगांव, खरगौन, कसरावद (प.निमाड़), बड़वानी, राजपुर (बड़वानी), पंधाना, हरसूद (खण्डवा) नरसिंहगढ़, राजगढ़ (राजगढ़), लटेरी, कुरवाई, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया (भोपाल) नसरुल्लागंज (सीहोर), भैंसदेही, आठनेर (बैतूल), खिड़किया (हरदा), जबलपुर, मझोली, कुन्डम, (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटेगांव (नरसिंहपुर) डिण्डोरी (डिण्डोरी), जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, बिछुआ, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी (सिवनी) जिले में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील रेहली (सागर), घटिया (उज्जैन), मेघनगर (झाबुआ), सोण्डबा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), झिरन्या, प. निमाड़, सेंधवा, पानसेमल, निवाली (बड़वानी), खण्डवा (खण्डवा), बुरहानपुर (बुरहानपुर), जीरापुर, व्याबरा (राजगढ़) आष्टा (सीहोर), घोड़ाडोंगरी, चिचोली, बैतूल, मुलताई (बैतूल), छिन्दवाड़ा, परासिया, जामई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील पेटलावद (झाबुआ), धार (धार), भीकनगांव (प. निमाड़), नेपानगर (बुरहानपुर), खिलचीपुर (राजगढ़), इछावर (सीहोर), आमला (बैतूल), हरदा, टिमरनी (हरदा), सोंसर, चौरई, पांडुर्णा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बड़नगर (उज्जैन) भामरा (अलीराजपुर), हुजूर (भोपाल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, राजगढ़, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा तथा सिवनी जिले में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला प. निमाड़ व बुरहानपुर में खरीफ फसल का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहंत बुधवार, दिनांक 13 जून, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, गेहूँ, राई-सरसों समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	1.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. मोहनगढ़	..				
8. ओरछा	..				
9. लिधौरा	..				
10. खरगापुर	वर्षामापी यंत्र नहीं.				
*जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) घान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		उड़द, मूंग, तिल, गोहूँ, चना, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर,		
4. पवई	..		आलू, प्याज.		
5. शाहनगर	1.0		(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गोहूँ, चना, जौ, अलसी, राई- सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	14.0		मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज		
4. सागर	10.5		समान.		
5. रेहली	20.1				
6. देवरी	12.5				
7. गढ़ाकोटा	2.2				
8. राहतगढ़	1.0				
9. केसली	0.6				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) उड़द, मूँग, गन्ना सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य कहीं- कहीं चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	..				
5. मनगवां	..				
6. हनुमना	..				
7. हजूर	..				
8. गुढ़	..				
9. रायपुरकर्जुलियान	..				
10. जबा	..				
11. नईगढ़ी	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुढ़ार	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	1.7				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
*जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासरा-टप्पा	11.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धडका	..				
8. शामगढ़	7.0				
9. संजीत	14.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	3.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	18.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	15.0				
4. घटिया	24.0				
5. उज्जैन	12.0				
6. बड़नगर	60.0				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..		(2) ..		
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	11.4				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) प्याज अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	20.0				
3. पेटलावद	46.0				
4. झाबुआ	9.4				
5. राणापुर	3.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. जोवट	4.2				
2. सोण्डवा	23.0				
3. अलीराजपुर	5.2				
4. कट्ठीवाड़ा	..				
5. भामरा	56.0				
6. उदयगढ़	26.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	8.2				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	40.4				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	4.0				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महुँ (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	9.0				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	5.0				
5. करही	..				
6. खरगोन	8.8				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	6.0				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	50.0				
12. झिरन्या	19.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	5.4		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	10.0				
4. सेंधवा	25.0				
5. पानसेमल	30.6				
6. पाटी	25.0				
7. निवाली	22.0				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	31.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	12.2		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	8.0				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	19.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	39.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	32.3		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	46.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	14.4				
4. ब्यावरा	19.6				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	5.6				
7. पचोर	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	12.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	9.0				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	4.0				
6. विदिशा	5.0				
7. ग्यारसपुर	12.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	3.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	57.9		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	21.0				
4. जावर	..				
5. इछावर	42.0				
6. नसरुल्लागंज	6.0				
7. बुधनी	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	8.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	27.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचौली	27.8				
5. बैतूल	30.6				
6. मुलताई	18.0				
7. आमला	52.4				
8. आठनेर	15.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	48.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	11.0		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	41.4				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) गन्ना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	1.4				
4. मझौली	1.0				
5. कुण्डम	1.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	16.0				
4. गोटेगांव	15.0				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	14.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	19.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	10.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	23.4				
4. जामई (तामिया)	25.2				
5. सोंसर	45.0				
6. पांडुर्णा	48.4				
7. अमरवाड़ा	2.2				
8. चौरई	50.8				
9. बिछुआ	4.0				
10. हरई	6.4				
11. मोहखेड़ा	8.3				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	17.6		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मसूर, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		कम.		
4. बरघाट	..		(2) ..		
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. धनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख,	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		तिवड़ा समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अशोकनगर, गुना, छतरपुर, सिंगरौली, रतलाम, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(442)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.